राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक : प. 4(72)वित्त/राजस्व/94–लूज · जयपुर, दिनांक : 15.04.2015

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.3.1995 के द्वारा समस्त कर्मचारियों पर दिनांक 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को पूर्णतया अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। उक्त योजना का प्रतिवर्ष नवीनीकरण किये जाने के क्रम में वर्ष 2015–16 के लिये भी उक्त योजना का नवीनीकरण 1 मई 2015 से किया जाकर इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते है :–

1 वर्ष 2015–16 की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी की अवधि 1.5.2015 से 30.4.2016 तक एवं 2.00 लाख रूपये बीमाधन हेतु प्रीमियम की राशि प्रति कर्मचारी 220/– रूपये एवम् नियमानुसार सेवाकर होगी।

2 उक्त पालिसी हेतु राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारियों व राज्य सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माह अप्रैल देय मई 2015 के वेतन से 220/– रूपये एवम् नियमानुसार सेवा कर राशि की कटौती की जायेगी।

3 वेतन बिलों के माध्यम से प्रीमियम कटौती हेतु समस्त प्रक्रिया गत् वर्ष की भांति रहेगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे। प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है। उक्त प्रस्ताव–पत्र एसआईपीएफ पोर्टल में भी दिनांक 30.06.2015 तक फीड किया जाना आवश्यक है।

4 समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के माह अप्रैल 2015 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से संबंधित कर्मचारी की प्रविष्टि हेतु आवश्यक प्रीमियम कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन 1 मई 2015 को आहरित नहीं किया जा रहा है, वे निजी स्तर से रूपये 220/– एवं नियमानुसार सेवाकर ई ग्रास के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में दिनांक 31.05.2015 से पूर्व जमा कराना सुनिश्चित करेंगें।

5 पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारी जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से परिशिष्ट "क" भरवाकर उनके अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जावे।

6 दिनांक 01.05.2015 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2015–16 के लिये देय प्रीमियम राशि 220/– रूपये एवम् नियमानुसार सेवाकर आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी एवं परिशिष्ट 'क' भरवाया जायेगा।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र पृथक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4 समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर/जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
5 निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर।
6 समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
7 समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
8 सिस्टम एनालिस्ट एवम् संयुक्त निदेशक (आई.टी.) वित्त विभाग।
9 रक्षित पत्रावली।

15/4/15
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (बीमा/पेंशन विभाग)